भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 687

दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

डेयरी मार्क का शुभारम्भ

687. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 2021 को एकीकृत लोगो के रूप में आरम्भ किये गये डेयरी मार्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उपार्जित होने वाले संभावित लाभ क्या हैं; और

(घ) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) दूध और दूध उत्पादों के लिए अनुरूपता निर्धारण योजना (सीएएस एमएमपी) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इसे बीआईएस द्वारा 8 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसे "भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) (छठा संशोधन) विनियम, 2021" कहा जाता है। इस योजना का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 23 दिसंबर 2021 को वन नेशन, वन सर्टिफिकेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से किया गया था। यह योजना निम्नलिखित तीन मौजूदा प्रमाणन योजनाओं को समाहित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार उत्पादित दूध और दूध उत्पाद निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और उपभोग के लिए सुरक्षित हैं:

i. बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) विनियमों की योजना I के अनुसार उत्पाद प्रमाणन;

ii. बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) विनियमों की योजना III के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन; और

iii. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के गुणवत्ता मार्क दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया प्रमाणन।

उसी के लिए एकीकृत लोगो नीचे दिया गया है:

(ख) दिनांक 24.01.2024 तक, इस योजना के तहत पांच प्रमाणपत्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर 30 सेमिनार/वेबिनार/कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय डेयरी एसोसिएशन, बीआईएस की उत्पाद प्रमाणन योजना के लाइसेंसधारियों और विभिन्न अन्य सहकारी और निजी डेयरियों को सीएएस एमपी योजना के लाभों का वर्णन करते हुए पत्र-व्यवहार भी किया गया है।

(ग) यह प्रमाणन योजना देश भर में दूध और उसके उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है:

i. यह सीएएस एमएमपी योजना कई प्रमाणपत्रों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाती है।
ii. मौजूदा प्रमाणपत्रों के एक योजना का तहत एकीकरण, न केवल संसाधन की आवश्यकताओं (ऑडिट समय, प्रमाणन लागत और जनशक्ति) को कम करता है, बल्कि डेयरी द्वारा कार्यान्वित प्रक्रिया नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है।
iii. यह डेयरी क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन से लेकर दूध और दूध उत्पादों के वितरण तक प्रत्येक चरण में गुणवत्ता संबंधी जागरुकता लाती है।
iv. यह उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त करने के लिए जनता के लिए एक एकीकृत चिह्न/लोगो तैयार करती है।

(घ) इसके अतिरिक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग फरवरी, 2014 से "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना को दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया है। इस योजना के तहत, दूध और दूध उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय कोल्ड चेन अवसंरचना, दूध गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना, डेयरी प्रतिष्ठानों के प्रमाणन और प्रत्यायन, प्रशिक्षण आदि के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

******